# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :-CE-I/2020-21/ 254 दिनांक :- 19-10-2020

## परिपत्र

जैसा कि ज्ञातव्य है कि राज्य में दिनांक 22.05.2020 से लोक कार्यों यथा आपूर्ति, विकास एवं निर्माण कार्यों में पारदर्शिता हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 प्रवृत हो गया है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 के सेक्शन 17(2) के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था (Procuring Identity) को उपापन से संबंधित सूचनाऐं अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों एवं मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन यथा अपेक्षित राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित करवाना उपबंधित है।

इस अधिनियम के उपबंधो द्वारा शासित उपापन के बारे में राज्य लोक उपापन पोर्टल निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाना आवश्यक है अर्थात -

1) पूर्व अर्हता दस्तावेज, बोलीदाता के पंजीकरण दस्तावेज तथा संबंधित संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र जो बोली पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में ले।
2) निविदा में बोली लगाने वालों की सूची।
3) पंजीकृत बोली लगाने वालों की सूची।
4) धारा 25 के अन्तर्गत कारण सहित अपवर्जित बोलीदाताओं की सूची।
5) धारा 38 तथा 39 के अधीन विनिश्चय।
6) सफल बोलीदाताओं का नाम, उनकी बोली राशि एवं बोली लगाने वालों का विवरण।
7) कोई अन्य सूचना, जो अधिनियम/नियमों के अधीन विहित हो।

अतः सभी संबंधित निविदा प्राप्तकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु०)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वित्तीय सलाकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-.................
6. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-.................
7. संयुक्त निदेशक (एसए) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता-प्रथम